**प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)**

**दावा-सह –विमुक्ति प्रपत्र**

(आवश्यक रूप से बीमाकृत सदस्य की मृत्यु से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाए)

***नामिती द्वारा भरा जाए***

*(अथवा यदि नामिती अवयस्क है, तो उसके नियुक्त व्यक्ति[1], तथा यदि कोई नामांकन नहीं है या नामिती की मृत्यु बीमाकृत व्यक्ति से पहले हो जाती है, तो बीमाकृत व्यक्ति के दावेदार[2] विधिक उत्तराधिकारी)*

**भाग 1. पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत सम्मिलित मृत सदस्य का विवरण**

(1) नामः

(2) पताः

(3) ग्राम/कस्बा/नगर का नामः ...........जिले का नामः...........

(4) राज्य का नामः ... .......... पिन कोडः..............

(5) बैंक / डाक घर खाता संख्याः

(6) मृत्यु की तारीखः

(7) मृत्यु का कारण (दुर्घटना[3], या कोई अन्य कारणः विनिर्दिष्ट करें):

(8) मृत्यु के प्रमाण के रूप में संलग्न दस्तावेज[4] (अथवा, यदि मृत्यु इस योजना में शामिल होने से 30 दिन के अंदर दुर्घटना के कारण हुई है, तो दुर्घटनावश मृत्यु का प्रमाण[5]):

(9) आधार संख्या[6] (वैकल्पिक):

(10) आय-कर स्थायी खाता संख्या (पैन)[6] (वैकल्पिक):

**भाग 2. नामिती का विवरणः**

*(अथवा यदि नामिती अवयस्क है, तो उसके नियुक्त व्यक्ति[1], तथा यदि कोई नामांकन नहीं है और नामिती की मृत्यु बीमाकृत व्यक्ति से पहले हो जाती है, तो बीमाकृत व्यक्ति के दावेदार[2] विधिक उत्तराधिकारी)*

1. नामिती का नामः
2. नामिती की आयुः
3. यदि नामिती अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति[1] का नामः
4. यदि कोई नामांकन नहीं है अथवा नामिती की मृत्यु बीमाकृत सदस्य से पहले हो जाती है, तो दावेदार[2] का नामः
5. यदि नामिती की मृत्यु बीमाकृत सदस्य से पहले हो जाती है, तो नामिती की मृत्यु[4] का प्रमाणः
6. मृत व्यक्ति के साथ नामिती/दावेदार का संबंधः
7. संपर्क के लिए मोबाइल संख्याः
8. संपर्क के लिए ई-मेल पताः
9. संपर्क करने के लिए पताः
10. नामिती/नियुक्त व्यक्ति/दावेदार का विवरण (जैसी स्थिति हो):

    (1) बैंक खाते का विवरण जिसमें दावा राशि विप्रेषित की जानी चाहिएः

*(क)* खाता संख्याः

*(ख)* बैंक का नामः

*(ग)* शाखा का आईएफएस कोडः

(2) आधार संख्या[6] (वैकल्पिक):

(3) आय-कर पैन[6] (वैकल्पिक):

(4) पहचान के प्रमाण के रूप में केवाईसी दस्तावेज[7] संलग्नः

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर प्रस्तुत विवरण मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं, इस दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेज वास्तविक हैं, तथा मैंने ऊपर नामोद्दिष्ट मृत सदस्य के संबंध में पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत देय राशि का दावा पूर्व में अथवा किसी बैंक अथवा डाक घर के पास मृत सदस्य के किसी अन्य खाते के संबंध में नहीं किया है।

दिनांकः

(नामिती/नियुक्त व्यक्ति[1]/दावेदार[2] के हस्ताक्षर)

**संलग्न दस्तावेजः**

(1) बीमाकृत सदस्य की मृत्यु का प्रमाण[4](यदि पालिसी के साथ संबद्ध होने / पुनः संबद्ध होने से 30 दिन के अंदर दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है तो उसका प्रमाण)

(2) मृत सदस्य और नामिती / नियुक्त व्यक्ति / दावेदार की आधार संख्या और पैन संख्या[6] (वैकल्पिक)

(3) नामिती / नियुक्त व्यक्ति / दावेदार के संबंध में केवाईसी दस्तावेज[7]

(4) खाते का ब्योरा दर्शानेवाली पास-बुक के प्रथम दो पृष्ठ, अथवा बैंक / डाक घर खाता विवरण, अथवा नामिती / नियुक्त व्यक्ति / दावेदार के खाते का निरस्त चेक।

(5) नामिती की मृत्यु का प्रमाण[4], यदि नामिती की मृत्यु बीमाकृत सदस्य से पहले हुई हो।

(6) दावेदार का विधिक उत्तराधिकारी होने का प्रमाण, यदि दावेदार नामिती/नियुक्त व्यक्तिको छोड़कर अन्य व्यक्ति हो।

(7) दावे के उन्मोचन (डिस्चार्ज) के लिए, विधिवत् भरी गई और हस्ताक्षरित अग्रिम रसीद।

***सदस्य-सूची के डेटा अथवा बैंक/ डाक घर के डेटा से बैंक / डाक घर द्वारा भरा जाए***

**भाग 3: मृत बीमाकृत सदस्य के संबंध में विवरण**

1. बैंक / डाक घर खाता संख्या (बैंक के सीबीएस/डाक घर अभिलेखों के अनुसार):
2. बैंक / डाक घर का नामः
3. शाखा का नामः
4. शाखा का आईएफएस कोडः
5. मृत सदस्य के पिता/ पति का नामः
6. जन्म-तिथि (केवाईसी दस्तावेज के अनुसार):

7. बीमाकर्ता का नामः
8. नामिती का नामः
9. बैंक / डाक घर खाते से प्रीमियम के डेबिट होने की तारीखः
10. बीमाकर्ता के खाते में प्रीमियम विप्रेषित करने की तारीखः

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना पीएमजेजेबीवाई सदस्य-सूची डेटा और बैंक/डाक-घर अभिलेखों के अनुसार सही है।
स्थानः
दिनांकः

(बैंक/डाक घर के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)

# प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

## दावे के विमुक्ति हेतु अग्रिम रसीद

ऊपर संदर्भित मेरे दावे के अनुमोदन के फलस्वरूप, मैं इसके द्वारा ...................................... (बीमाकर्ता का नाम) से सदस्य श्री/सुश्री ................................................... के संबंध में बीमा को कवर करनेवाली उपर्युक्त पालिसी के अंतर्गत मेरे दावे के संपूर्ण और अंतिम भुगतान एवं उन्मोचन के रूप में केवल दो लाख रुपये की राशि स्वीकार करता/करती हूँ।

...................................................

गवाह के हस्ताक्षर
गवाह का नामः
पताः

नामिती/नियुक्त व्यक्ति/दावेदार के हस्ताक्षर

दिनांकः

बैंक / डाक घर के प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर
दिनांकः
नामः
बैंक / डाक घर का नामः
शाखाः
कार्यालय की मुहरः

## दावेदारों के लिए उपयोगी सूचना

[1]नियुक्त व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका नामोल्लेख पीएमजेजेबीवाई सदस्यता फार्म में दिवंगत सदस्य द्वारा किया गया है, जहाँ नामिती अवयस्क है।

[2]जहाँ कोई नामांकन नहीं है अथवा नामिती की मृत्यु बीमाकृत व्यक्ति से पहले हो गई है, वहाँ दावेदार वह व्यक्ति है जो विधिक उत्तराधिकारी है और किसी सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा विधिक उत्तराधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।

[3]दुर्घटना से बाह्य, हिंसक और दृश्य साधनों के द्वारा घटित कोई आकस्मिक, अप्रत्याशित और अनभिप्रेत घटना अभिप्रेत है। दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की स्थिति को छोड़कर पालिसी के साथ संबद्ध होने/पुनः संबद्ध होने से 30 दिन के अंदर घटित होनेवाली मृत्यु की स्थिति में कोई दावा देय नहीं है।

**[4]मृत्यु के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता हैः**

(i) मृत्यु प्रमाणपत्र (स्थानीय क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया)

(ii) मृत व्यक्ति के नाम, पिता/पति के नाम, पता तथा मृत्यु की तारीख, समय और कारण को विनिर्दिष्ट करते हुए, मृत व्यक्ति के संबंध में अस्पताल का डिस्चार्ज सारांश/प्रमाणपत्र

(iii) मृत व्यक्ति के नाम, पिता/पति के नाम, पता तथा मृत्यु की तारीख, समय और कारण को विनिर्दिष्ट करते हुए, मृत व्यक्ति के संबंध में अंतिम परिचर्या में उपस्थित पंजीकृत चिकित्सक (भारतीय चिकित्सा परिषद के पास पंजीकृत डाक्टर) द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र, जिसपर केन्द्र अथवा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अथवा मृत खाताधारक व्यक्ति के बैंक के किसी अधिकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक के अधिकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी बीमाकर्ता द्वारा अपनी मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(iv) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधीश / उपायुक्त, अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार / तालूकदार आदि) के द्वारा उक्त योजना के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में निर्धारित फार्म में मृत व्यक्ति के संबंध में जारी किया गया प्रमाणपत्र

[5]**दुर्घटना के कारण मृत्यु के समर्थन में दस्तावेज निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता हैः**

(1) मृत्यु के प्रमाण के लिए ऊपर सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज, जो (क) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) अथवा *पंचनामा* और (ख) *शवपरीक्षा (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट* से युक्त हो

(2) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधीश / उपायुक्त, अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार / तालूकदार अदि) के द्वारा उक्त योजना के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में निर्धारित फार्म में बीमाकृत सदस्य के संबंध में जारी किया गया प्रमाणपत्र

(3) सर्पदंश / पेड़ पर से गिरने, आदि जैसी घटनाओँ के कारण मृत्यु की स्थिति में मृत व्यक्ति के नाम, पिता/पति के नाम, पता तथा मृत्यु की तारीख, समय और कारण को विनिर्दिष्ट करते हुए ऊपर (क), (ख) और (ग) के बदले अस्पताल का अभिलेख।

[6]यह सूचना वांछनीय है, परंतु अनिवार्य नहीं है।

[7]नामिती / नियुक्त व्यक्ति / दावेदार की पहचान के समर्थन में दस्तावेज, आधार कार्ड अथवा मतदाता फोटो पहचान कार्ड [ईपीआईसी] अथवा मनरेगा कार्ड अथवा वाहन चालन लाइसेंस अथवा पैन कार्ड अथवा पासपोर्ट हो सकता है।